न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 39 / 2020 (2020 / 00112) | दर्ज दिनांक 05.06.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. चन्द्रशेखर पिता बद्रीलाल माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थी

बनाम

1. भेरूलाल पिता लक्ष्मण माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. शकुंतला देवी पत्नि गोपाल माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. बंशीलाल पिता सुखदेव माली निवासी गांगपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. राजकुमार पिता सुखदेव माली निवासी गांगपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री अरविंद चौधरी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–06.11.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 5207 रकबा 0.89 हे0, 7628 / 5208 रकबा 0.34 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.23 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 304 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के [illegible] जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीम[illegible] के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:12:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना [illegible] किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 बावजूद [illegible] अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 5 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है।प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 39 / 2020 (2020 / 00112)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 5207 रकबा 0.89 हे0, 7628 / 5208 रकबा 0.34 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.23 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 304 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500 / – (पांच सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500 / – (पांच सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:12:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner